

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- जहानागंजअवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक- 27.09.2023 को उ0नि0 मोती लाल पटेल मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम तरछा की तरफ से आ रहा है जो नाजायज गांजा एक झोले में लेकर कहीं बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उस व्यक्ति को घेर घारकर कर तरछा पुलिया के पास पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम मक्कल यादव पुत्र स्व0 पूजन यादव निवासी तरछा थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ बताया तथा उसके कब्जे से 01 किलो ग्राम 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त को समय 12.10 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- मक्कल यादव पुत्र स्व0 पूजन यादव निवासी तरछा थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ बरामदगी का विवरण:-

1- 01 KG 200 ग्राम अवैध गांजा
पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 427/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़ गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- उ0नि0 मोतील लाल पटेल मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- बरदहलड़की को बहला- फुसलाकर भगाने का आरोपी गिरफ्तारपूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 20/09/23 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि विपक्षी आनन्द कुमार पुत्र डाक्टर अमरजीत ग्राम चेवार पूब मुसहूपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 19/09/23 को वादी की लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, उक्त सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 383/23 धारा 363/366 भादवि बनाम आनन्द कुमार उपरोक्त पंजीकृत किया गया। दिनांक 25/09/23 को अपहृता को भीरा बाजार से बरामद किया गया। आवश्यक कार्यवाही उपरान्त पीड़िता को उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह के द्वारा दिनांक 27/09/23 को समय 08.50 बजे गोड़हरा से अभियुक्त आनन्द कुमार पुत्र अमरजीत ग्राम चेवार पूब मुसहूपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1- आनन्द कुमार पुत्र अमरजीत ग्राम चेवार पूब मुसहूपुर थाना देवगांव जनपद आजमगढ़
पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 383/23 धारा 363/366 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 383/23 धारा 363/366 भादवि थाना बरदह, आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1- व0उ0नि0 गोपाल जी मय हमराह थाना बरदह, आजमगढ़

थाना सिधारी

चोरी की घटना में शामिल एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में।

पूर्व की घटना- दिनांक 15.09.2023 को वादी मुकदमा मु0 हफीज खान उर्फ मिस्टर खान पुत्र स्व0 मेहदी सा0 भदुली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने थाना सिधारी पर शिकायत किया कि विपक्षी 1. उमेश यादव पुत्र बेचन यादव सा0 भदुली (दखिखन का पुरा) थाना सिधारी आजमगढ़ व अन्य अज्ञात द्वारा वादी के बगीचे से दो हार्स पावर का समर सेबल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में दाखिल किये कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0352/2023 धारा 379 भादवि बनाम 1. उमेश यादव पुत्र बेचन यादव सा0 भदुली (दखिखन का पुरा) थाना सिधारी आजमगढ़ व अन्य के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री रतन कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. उमेश यादव पुत्र बेचन यादव उम्र 24 वर्ष ग्राम भदुली थाना सिधारी आमजगढ़ व आरिफ पुत्र शमीम उम्र 19 वर्ष ग्राम खानटोला भदुली थाना सिधारी आजमगढ़ को दिनांक 16.09.2023 को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से मुकदमा उक्त में चोरी गयी समरसेबुल को बरामद किया गया और मुकदमें में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी थी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 27.09.2023 को उ0नि0 रतन कुमार सिंह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये बाल अपचारी को भदुली पुल के पास बहदग्राम भदुली से समय 09.30 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 0352/2023 धारा 379 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 0352/2023 धारा 379 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 रतन कुमार सिंह मय हमराह थाना सिधारी आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 24.09.2023 को वादिनी मुकदमा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया आरोपी सत्यम यादव पुत्र विरेन्द्र यादव साकिन- लखनूपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी मुकदमा के साथ शारिरीक सम्बन्ध बनाया जिससे वादिनी मुकदमा के पेट में चार माह का बच्चा था, आरोपी द्वारा आवेदिका को दवा खाकर बच्चा गिरवा देने की धमकी दिया गया व मारा पीटा गया व जान से मारने की धमकी दिया गया तथा आरोपी की माँ द्वारा भी वादिनी मुकदमा को गाली गुप्ता व जान से मारने की दिये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 256/2023 धारा 376/323/504/506 IPC पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष कप्तानगंज द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 27.09.2023 को थानाध्यक्ष मय हमराह के मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. सत्यम यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी लखनूपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को बालवरगंज तिराहे से नियमानुसार समय करीब 7.30 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 256/2023 धारा 376/323/504/506 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- मु0अ0सं0 256/2023 धारा 376/323/504/506 IPC थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- सत्यम यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी लखनूपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम – थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना – रौनापार

लडुकी को बहला- फुसलाकर भगाने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण – वादी मुकदमा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर कि दिनांक 22.09.23 को समय करीब 15.00 बजे शाम को वादी की पुत्री को विपक्षी सत्यम यादव पुत्र वकील यादव सा0 सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 311/23 धारा 63/366 भादवि बनाम सत्यम यादव पुत्र वकील यादव सा0 सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़के विरुद्ध दिनांक 22.09.23 को पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण- उ0नि0 जयशंकर प्रसाद मय हमराह द्वारा आज दिनांक 27.09.23 को मुखबीर खास की सूचना पर अभियुक्त सत्यम यादव पुत्र वकील यादव सा0 सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को ग्राम बैदौली तिराहा से समय करीब 09.15 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0सं0 311/23 धारा 363/366 थाना रौनापार आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- 1. मु0अ0सं0 311/23 धारा 363/366 थाना रौनापार आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:- 1-सत्यम यादव पुत्र वकील यादव सा0 सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 जयशंकर प्रसाद मय हमराह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़